जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम
कनिष्ठ अभियन्ता निलम्बित

जयपुर, 27 सितम्बर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण एक कनिष्ठ अभियन्ता को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

संभागीय मुख्य अभियन्ता–जयपुर जोन श्री अजीत सक्सैना ने बताया कि बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने एवं उपभोक्ताओं के फोन नही उठाने की शिकायतें पाए जाने पर सहायक अभियन्ता–पवस–लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के अन्तर्गत कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता श्री प्रवीण सेरावत को निलम्बित किया गया है।

निलम्बन काल में श्री प्रवीण सेरावत का मुख्यालय अधीक्षण अभियन्ता–पवस–टोंक के कार्यालय में रहेगा।

——

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 921/2019